दिनांक–05.06.2026

पत्रावली आदेश नियत है। अंतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह याचना की गयी है कि एन0सी0आर0 143/2018 अंतर्गत धारा 323, 504 भा0दं0सं0, थाना भुता, बरेली, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–4, बरेली की न्यायालय में विचाराधीन है और यह मामला सत्र परीक्षण सं0–565/2022 अंतर्गत धारा 307, 504, 506 भा0दं0सं0 का क्रॉस केस है और सत्र परीक्षण वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–5, बरेली में विचाराधीन है।

क्रॉस केस होने के आधार पर मजिस्ट्रेट न्यायालय से मामले को सत्र न्यायालय अंतरित किये जाने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता क्योंकि धारा 362 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत प्रदत्त प्राविधान के अनुसार मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दौरान जांच या विचारण यह पाये जाने पर कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षित किया जाना है, मामले को सत्र सुपुर्द किया जा सकता है। उक्त प्राविधान में प्रदत्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा क्रॉस केश भी सत्र सुपुर्द किया जा सकता है।

अतः वर्तमान अंतरण प्रार्थना पत्र औचित्यहीन है।

तद्नुसार औचित्यहीन होने के आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष एन0सी0आर0 143/2018 के मामले को सत्र परीक्षण सं0 665/2022 का क्रॉस केस स्थापित करने के लिए आवेदन तथा तद्नुसार विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय विधिनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।

सत्र न्यायाधीश,
बरेली।

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2026.06.05 16:28:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court